कोटा को भव्य श्रीजी हॉस्पिटल के मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात

कोटा में श्रीजी हॉस्पिटल के मल्टीस्पेशलिटी का उद्घाटन 27 अप्रैल को होगा। इसकी जानकारी पत्रकार वार्ता में दी गई है।

कोटा (निसं)। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कोटा को मिलने जा रही है, एक नई सौगात-श्रीजी हॉस्पिटल के मल्टीस्पेशलिटी का उद्घाटन 27 अप्रैल को कोटा शहर के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित श्रीजी हॉस्पिटल (यूनिट ऑफ कोटा हार्ट इंस्टिट्यूट प्राइवेट लिमिटेड) के विस्तारित मल्टीस्पेशलिटी परिसर का भव्य शुभारंभ रविवार, 27 अप्रैल 2025 को शाम 6 बजे किया जाएगा। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष अस्पताल का उद्घाटन करेंगे।

अस्पताल के निदेशक डॉ. राकेश जिंदल एवं डॉ. नीता जिंदल ने बताया कि यह विस्तारित विंग न केवल कोटा बल्कि समूचे हाड़ौती क्षेत्र के लिए एक स्वास्थ्य क्रांति के रूप में देखा जा रहा है, जो विश्वस्तरीय चिकित्सा सेवाओं को आमजन तक पहुँचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।श्रीजी हॉस्पिटल के नए परिसर में चिकित्सा सेवाओं को विभिन्न सुपर-स्पेशलिटी विभागों के अंतर्गत विभक्त किया गया है जिसके अंतर्गत कार्डियोलॉजी सेवाएँ में नवीनतम कैथ लैब, इंटरवेंशनल प्रक्रियाएँ और हृदय रोगों का विश्वस्तरीय उपचार।ऑन्कोलॉजी यूनिटमें कैंसर रोगियों के लिए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, लीनियर एक्सीलेटर स्कैन जैसी अग्रणी तकनीकें। अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ गंठबंधन। डे-केयर यूनिट में छोटी शल्य क्रियाओं और टेस्ट के लिए एक ही दिन में डिस्चार्ज की सुविधा।

डायग्नोस्टिक सेंटर, आईसीयू एवं इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर यूनिट, अत्याधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित स्टाफ के साथ देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों से जुडे अनुभवी कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, और सर्जन होंगे।पैरा-मेडिकल सेवाएँ में सैंपल कलेक्शन की सुविधा अब घर बैठे होगी।विशेष पहल करते हुए चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में डॉ. नीता जिंदल द्वारा संचालित, विशेष बच्चों के लिए समर्पित केंद्र एक पहल , जिसमें मानसिक रूप से विशेष बच्चों के लिए प्रशिक्षित टीम कार्यरत है।अमेरिकन इंस्टिट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी के साथ गठबंधन,इंटरनेशनल ट्यूमर बोर्ड के तहत प्रत्येक कैंसर मरीज का इलाज अमेरिकन स्टैंडर्ड के अनुसार। अंग-विशिष्ट ऑन्कोलॉजिस्ट की उपलब्धता। अंडरग्राउंड पार्किंग सुविधा होगी।

डॉ. राकेश जिंदल और डॉ. नीता जिंदल, निदेशक, श्रीजी हॉस्पिटल ने कहा, यह सिर्फ एक उद्घाटन नहीं, बल्कि एक स्वस्थ कोटा की दिशा में एक सशक्त शुरुआत है

यह पहल कोटा के साथ-साथ बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौडगढ और निकटवर्ती मध्य प्रदेश के लिए उच्चस्तरीय चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि, यह सुविधा हाड़ौती क्षेत्र को भविष्य में एक हेल्थ हब के रूप में स्थापित करेगी। श्रीजी हॉस्पिटल में 24 7 क्रिटिकल केयर विभाग में आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ मेडिसिन विभाग, शिशु एवं किशोर विभाग, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, अस्थि रोग विभाग, नाक, कान व गला रोग विभाग, दंत रोग, चर्म रोग विभाग और श्वांस रोग विभाग, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी विभाग की सुविधा उपलब्ध रहेगी । विशेष सेवाओं में गैस्ट्रो सर्जरी विभाग, एंडोक्राइनोलॉजी विभाग व न्यूरो व न्यूरोसर्जरी विभाग, नेफ्रोलोजी विभाग की सेवाएं भी उपलब्ध रहेगी। मरीजों के पूनर्वास के लिए फिजियोथैरेपी सुविधा के साथ-साथ आहार विशेषज्ञ (डाइटिशियन) की सुविधा भी रहेगी।

प्रशासन ने 50 वर्षों से बंद रास्तों को खुलवाया

छबड़ा (निसं)। राज्य सरकार का रास्ता खोलो अभियान ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहा है। लंबित समस्या का त्वरित निस्तारण होने से ग्रामीणों के चेहरों पर रौनक दिखाई दे रही हैं। शुक्रवार को जैपला, कडैयावन के सोलतपुरा, कडैयानोहर , फलिया, कडैयाहाट, अहमदपुरा गांव के रास्तों पर हो रहे अतिक्रमण को ट्रेक्टर, जेसीबी से हटवाते हुए सीमाज्ञान की कार्रवाई की गई।

तहसीलदार यादवेंद्र यादव ने बताया कि रास्ते संबधित समस्याओं के निराकरण एवं आमजन को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रेल से एक माह की अवधि तक रास्ता खोलो अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया है। अभियान के तहत राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ते, सार्वजनिक रास्ते, प्रचलित रास्ते, सिवायचक एवं चारागाह भूमि से गुजरने वाले रास्ते इत्यादि को अतिक्रमण मुक्त किया जाना है। इसकी पालना में शुक्रवार को भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा 8 रास्तों को खुलवाया गया।

पटवार हल्का जैपला के जैपला गांव का गेर मुमकिन रास्ता, पटवार हल्का कडैयावन के सौलतपुरा गांव का कदीमी, प्रचलित रास्ता, पटवार मंडल कडैयानोहर के कडैयानोहर गांव का रिकार्डेड रास्ता, पटवार मंडल फलिया के फलिया गांव के चारागाह से होकर जाने वाले 2 रास्ते, पटवार हल्का कडैयाहाट के कडैयाहाट गांव के 2 रिकार्डेड रास्ते एवं अहमदपुरा गांव का प्रचलित रास्ता पर किए गए अतिक्रमण को सीमाज्ञान की कार्यवाही करने के पश्चात जेसीबी, ट्रेक्टर के माध्यम से रास्ते का खुलासा करवाया गया। उक्त रास्तों में से कुछ रास्ते 50 वर्षों से भी अधिक समय से बंद थे, जिन्हें खुलवाकर ग्रामीणों को राहत प्रदान दी गई। उक्त रास्तों के खुलासा होने से लगभग 1000 व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

नारेबाजी के साथ पुतला दहन किया

छबड़ा (निसं)। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हिन्दुओ की निर्मम हत्या के विरोध मे इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन विश्व हिन्दू परिषद व बजरंग दल प्रखंड द्वारा धरनावदा चौराहा पर किया गया। आतंकवादियो द्वारा निर्दोष पर्यटकों की की गई निर्मम हत्या के विरोध पूरे भारत में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन किया गया।

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/166 **विज्ञप्ति** दिनांक:-25.4.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम तेखडा में स्थित कृषि भूमि योजना प्रताप नगर-I खसरा नं. 28 में स्थित भूखंड संख्या 362 क्षेत्रफल 138.88 वर्गगज आवेदक श्रीमती नीलू कुंदनानी पत्नी श्री पंकज कुमार कुंदनानी एवं श्री यश कुमार कुंदनानी (नाबालिक) पुत्र श्री पंकज कुमार कुंदनानी जर्ये कुदरती संरक्षक माता श्रीमती नीलू कुंदनानी निवासी म.नं. 362 प्रताप नगर-I बोरखेडा कोटा राज. नाम हस्तान्तरण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा आदेश क्रमांक 1002 दिनांक 20.03.2020 को श्री चेतना नन्द पुत्र श्री दयाल दास के नाम जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 18.02.2024 को हो चुकी है। मृतक चेतनानन्द द्वारा अपने जीवनकाल में जर्ये रजि. वसीयत नामा दिनांक 29.11.2023 को आवेदकों के पक्ष में किया गया है।

अत: श्रीमती नीलू कुंदनानी पत्नी श्री पंकज कुमार कुंदनानी एवं श्री यश कुमार कुंदनानी (नाबालिक) पुत्र श्री पंकज कुमार कुंदनानी जर्ये कुदरती संरक्षक माता श्रीमती नीलू कुंदनानी के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/162 **विज्ञप्ति** दिनांक:-25.4.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम शिवपुरा में स्थित कृषि भूमि योजना शिव कालोनी खसरा नं. 82/121 में स्थित भूखंड संख्या 15 क्षेत्रफल 138.33 वर्गगज आवेदिका श्री संतोष कुमार जैन पुत्र स्व. श्री दुर्लभ चन्द जैन हिस्सा 2/3 एवं श्रीमती राजेन्द्र बाई जैन पत्नी श्री गोपाल लाल जैन हिस्सा 1/3 निवासी कोटा द्वारा नाम हस्तान्तरण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा आदेश क्रमांक 801 दिनांक 10.07.2013 को मनोरमा जैन पत्नी श्री कीर्ति कुमार जैन के नाम जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 09.04.2014 को श्रीमती धनकंवर बाई पत्नी स्व. श्री गोपाल लाल जैन एवं श्रीमती राजेन्द्र बाई जैन पुत्री स्व. श्री गोपाल लाल जैन एवं सन्तोष कुमार जैन पुत्र स्व. श्री दुर्लभ चन्द जैन के पक्ष में किया गया। सहक्रेता धनकंवर बाई की मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 19.10.2020 को हो चुकी है। मृतक धनकंवर बाई अपने जीवनकाल में नोटेरीशुदा दिनांक 30.09.2024 को अपना 1/3 हिस्सा संतोष कुमार जैन के पक्ष में किया गया है।

अत: श्री संतोष कुमार जैन पुत्र स्व. श्री दुर्लभ चन्द जैन हिस्सा 2/3 एवं श्रीमती राजेन्द्र बाई जैन पत्नी श्री गोपाल लाल जैन हिस्सा 1/3 के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटे की मौत

कोटा, (निसं)। तालेड़ा थाना इलाके के नेशनल हाईवे-52 पर हुए सड़क हादसे में मोटरसाईकिल सवार मां-बेटे की मौत हो गई। घटना के बाद घटनास्थल से ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। दोनों मां-बेटे मोटरसाईकिल से कोटा से अपने घर बूंदी के तालेड़ा स्थित बाजड़ गांव जा रहे थे। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मां-बेटे को उपचार के लिये अस्पताल लाया गया। जहां दोनों की मौत हो गई। तालेड़ा थानाधिकारी अजीत बागडोलिया ने बताया कि बाजड़ गांव निवासी विशाल (19) और उसकी मां ललिता बाई (45) मोटरसाईकिल से कोटा से गांव की ओर जाते समय बल्लोप के नजदीक खैराली गांव के समीप पेट्रोल पम्प से ट्रेलर चालक ट्रेलर लेकर बाहर हाईवे पर जैसे ही आया इसी दौरान दोनों की टक्कर हो गई। थानाधिकारी ने बताया कि ट्रेलर की चपेट में आने से बाईक सवार विशाल और उसकी मां ललिता बाई दोनों गंभीर रूप से घायल हो गये। दोनों को गंभीर घायलावस्था में उपचार के लिये तालेड़ा चिकित्सालय लाया गया। जहां डॉक्टर ने जांच के बाद ललिता बाई को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर घायल विशाल को उपचार के लिये कोटा के एमबीएस अस्पताल के लिये रैफर एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां विशाल ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतको के शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। थानाधिकारी ने बताया कि मौके से ट्रेलर को जप्त किया गया। मामला दर्ज कर मामले में अनुसंधान जारी है।

किशोर का शव मिला

कोटा, (निसं)। कुन्हाड़ी इलाके में किशोर का शव चम्बल नदी में तैरता मिला। चम्बल नदी में शव पड़े होने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर नगर निगम के गोताखोरों को बुलाकर शव को बाहर निकलवाया गया। मृतक किशोर की शिनाख्त डडवाड़ा निवासी अंकित जैन (17) के रूप में हुई। कुन्हाड़ी थानाधिकारी अनिल भारद्वाज ने बताया कि चम्बल नदी की छोटी पुलिया के पास एक किशोर के शव पड़े होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मौके पर नगर निगम की गौताखोर टीम को बुलाकर शव को बाहर निकलवाया गया। थानाधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान डडवाड़ा निवासी अंकित जैन के रूप में हुई।

प्रस्तावित दो न्यायालय के लिए चिन्हित भूमि का जिला न्यायाधीश ने निरीक्षण किया

रामगंजमंडी, (निसं)। शहर में प्रस्तावित दो न्यायालय एडीजे व एसीजेएम के नये भवन के लिए प्रस्तावित भूमि का शुक्रवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास ने निरीक्षण किया।

वर्तमान परिसर में खाली पड़ी चिन्हित भूमि सहित अन्य प्रस्तावित भूमि का जिला एवं सेशन न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास द्वारा शुक्रवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश शैलेश झरिया, तहसीलदार नेहा वर्मा, अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष चन्दन गुप्ता व सचिव प्रदीप अहीर के साथ निरीक्षण किया।

परिषद के सचिव प्रदीप अहीर ने बताया कि रामगंजमंडी में दो न्यायालय भवन का निर्माण प्रस्तावित है। जिसके लिए अभिभाषक परिषद द्वारा वकीलों, पक्षकारों कर्मचारियों की सुविधा को देखते हुए वर्तमान परिसर में ही बनवाने की मांग को लेकर आन्दोलन किया था।

परिषद के पदाधिकारी राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर भी गये थे व आन्दोलन के दौरान वकीलों द्वारा महापंचायत भी बुलाई गई थी। जिसमें हाडौती की कई अभिभाषक परिषद के पदाधिकारियों ने भाग लिया था। जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित भूमि पर दोनों न्यायालय भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटित करने बाबत आन्दोलन के दौरान हुए समझौते पर सहमति बनी थी।

शुक्रवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने वर्तमान परिसर में खाली पड़ी भूमि सहित अन्य चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मारूफ अली, हेमन्त जैन, रोहित पाटीदार, रियाज आर्मी, कमलेश मेहरा, अनवर अली, साहिल खान व कानूनगो रवि जैन मौजूद थे।

नाबालिग बालिका ने फांसी लगाई

कोटा, (निसं)। नयापुरा थाना इलाके में एक 17 वर्षीय नाबालिग बालिका ने घर में फांसी का फन्दा लगाकर आत्महत्या कर ली।

घटना के समय बालिका घर में अकेली थी। मृतका की मां अस्पताल में सिक्योरेटी गार्ड की ड्यूटी करती है।

मृतका की मां जब घर पर पहुंची तब उसे घटना का पता चला। एमबीएस चौकी प्रभारी एएसआई नंद सिंह ने बताया कि खंड गांवडी निवासी नाबालिग बालिका ने घर में फांसी का फन्दा लगा लिया।

मृतका की मां अस्पताल में सिक्यूरटी गार्ड है ड्यूटी पूरी करके घर पहुंची तब उसे बालिका फंदे पर लटकी हुई मिली। जिसे नीचे उतारकर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

एएसआई ने बताया कि मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतका की मां ने बूंदी निवासी एक लड़के के खिलाफ उसकी बेटी को बार-बार फोन करके परेशान करने की शिकायत दी है। मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री महेन्द्रनाथ चतुर्वेदी निवासी 50 बी सिविल लाईन, नयापुरा, कोटा के निर्देशन पर निम्न आम सूचना वास्ते प्रकाशनार्थ प्रेषित करता हूँ:-

राजेश कुमार योगी आत्मज मोहनलाल योगी निवासी झुन्झुनू राजस्थान हाल सिविल लाईन, नयापुरा, कोटा जो मेरी पुत्री शिवानी चतुर्वेदी के पति हैं और वर्तमान में मेरे मकान में 4000/- रूपये मासिक से किरायेदार हैं। राजेश कुमार योगी आये दिन मेरी पुत्री शिवानी चतुर्वेदी तथा मेरे पक्षकार महेन्द्रनाथ चतुर्वेदी तथा पुत्र पार्थ चतुर्वेदी के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार करता है दिनांक 22.04.2025 को राजेश योगी मेरे पक्षकार के निवास स्थान पर आया और मेरे पक्षकार के साथ मारपीट करने पर आमादा हो गया तथा पुत्री शिवानी चतुर्वेदी को बुरी तरह मारा जिससे उसके सिर में व होंट में चोट कारित हुयी। जिसकी रिपोर्ट थाना नयापुरा, कोटा में दिनांक 22.04.2025 को करवा दी गयी है तथा मारपीट के वक्त आलमारी से 40,000/- रूपये नकद निकालकर ले गया तथा मेरे पक्षकार का जब मकान का सौदा हुआ उस समय 3,00,000/- रूपये हडप कर लिये जो समझाने पर भी नहीं मान रहा है तथा मेरे पक्षकार की पुत्री अर्चना चतुर्वेदी उसका पति रामलखन चतुर्वेदी निवासी शिवपुरी मध्य प्रदेश दूसरी पुत्री रतना चतुर्वेदी पत्नी अशोक कुमार चतुर्वेदी निवासनी भरतपुर एवं राजेश योगी मिलकर षडयंत्र पूर्वक मेरे पक्षकार की कृषि आराजी जो ग्राम पदमपुरा दरा के पास करीब 15 बीघा है तथा सिविल लाईन स्थित मकान को सभी मिलकर हडप करना चाहते है। राजेश योगी पुत्र मोहनलाल योगी को उसके दुर्व्यवहार के कारण बेदखल करता हूँ और आज के पश्चात् मेरे पक्षकार का एवं मेरी पक्षकार की पुत्री शिवानी चतुर्वेदी का कोई संबंध नही है। और सभी को सूचित किया जाता है कि वह इनके साथ कोई लेनदेन का प्रोपर्टी सम्बन्धित समव्यवहार नहीं करे। मेरे पक्षकार की एवं उसकी पुत्री शिवानी चतुर्वेदी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मेरे पक्षकार ने उनको आज के पश्चात् सभी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया गया है। भवदीय

दिनांक 24.04.2025 रामगोपाल चतुर्वेदी (एडवोकेट) कोटा मो. 9214563371

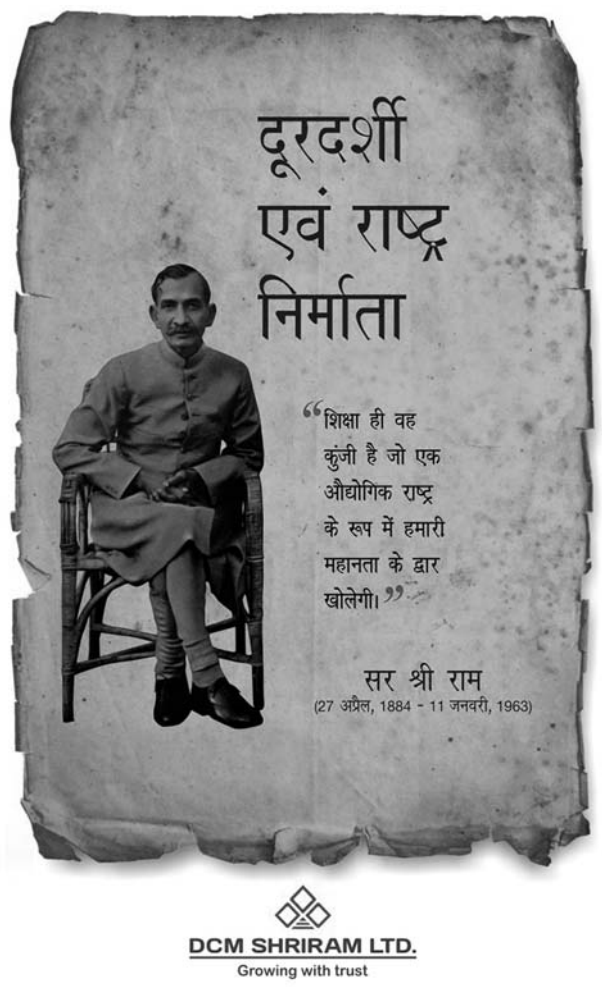

बाल विवाह रोकने का संदेश दिया

- गोविन्दपुरा एव गुढ़ा गावड़ी में प्रतियोगिता, प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी का आयोजन

झालावाड़ (निसं)। केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, कोटा द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग झालरापाटन के सहयोग से बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में जानकारी देने के लिए चलाये जा रहे विशेष प्रचार अभियान के तहत शुक्रवार को गोविन्दपुरा एवं गुढ़ा गावड़ी में रैली के माध्यम से बाल विवाह रोकने का दिया संदेश दिया गया इसके आलावा जल संरक्षण, लू-ताप-घात से बचाव और हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान विषय पर मोखिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया।

गोविन्दपुरा एवं गुढ़ा गावड़ी में अलग-अलग आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, कोटा के सहायक निदेशक, रामेश्वरलाल मीणा ने कहा कि बाल विवाह बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को बुरी तरह से प्रभावित करता है। बाल विवाह से बालिकाओं में, गर्भावस्था और प्रसव से जुड़ी जटिलताएं बढ़ जाती हैं, और वे जल्दी ही माँ बनने के लिए तैयार नहीं होती हैं। उन्होंने कहा हमे बाल विवाह का अंत करने के लिए समाज को जागरूक करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता हैं। गोविन्दपुरा एवं गुढ़ा गावड़ी में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार द्वारा पूरे साल हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान पर कार्यक्रम आयोजित करने की कड़ी में प्रदर्शनी के माध्यम जानकारी दी गई एवं लू-तापघात से बचाव के उपाय बताए गये। इस अवसर पर गोविन्दपुरा एव गुढ़ा गावड़ी में जल संरक्षण, बाल विवाह की रोकथाम, लू-तापघात से बचाव और हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान विषय पर मौखिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया एवं उक्त विषयों पर पूछे गये प्रश्नों का सही जबाव देने वाली महिला विजेताओं को विभाग की ओर से सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा और महिला पर्यवेक्षक नाजमा परवीन ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। महिला पर्यवेक्षक नाजमा परवीन, गोविन्दपुरा की कार्यकर्ता सुनीता गुजर, आशा जैन, नरेद्रा शर्मा एव गुढ़ा गावड़ी की कार्यकर्ता कृष्णा लोधा, रीना लोधा, अनीता सहित गाव की महिलाओं के अलावा गणमान्य लोगों ने भाग लिया।

युवक ने फांसी लगाई

कोटा, (निसं)। नान्ता थाना इलाके में एक युवक ने घर में फांसी का फन्दा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक नान्ता निवासी बन्टी (25) है। बन्टी ने गुरूवार देर रात्रि को घर में फांसी का फन्दा लगा लिया जब परिजनों ने उसे फंदे पर लटका देखा तो नीचे उतारकर उपचार के लिये एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। नान्ता थाने के एएसआई दुर्गालाल ने बताया कि नान्ता निवासी बन्टी की दो महीने पहले शादी हुई थी। लेकिन शादी के एक महिने के बाद से ही दोनों पति-पत्नी के बीच कोई बात को लेकर अनबन चल रही थी। जिससे वह डिप्रेशन में रहता था, प्रथम दृष्टया से डिप्रेशन के चलते युवक ने फांसी का फन्दा लगा लिया। मामले में सामने आया कि मृतक पत्नी के चरित्र पर शक करता था। मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया।

खोया पाया

फजलू रहमान पुत्र अब्दुल रहमान मंसूरी म.नं. 4-छ-42 विज्ञान नगर कोटा का अदेय प्रमाण पत्र, कब्जा पत्र, इन्वेन्टरी पत्र, आवंटन पत्र, अनुज्ञा पत्र गुम हो गया है। जिसे मिले निम्न मो. पर सूचित करें। मो. 9691005266

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, कोटा खण्ड कोटा
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को (नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर-29/2025

चूंकि श्री गोपी लाल पुत्र श्री नाथूलाल निवासी तेखडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 17 (2) के अन्तर्गत प्रन्यास "मन्दिर लक्ष्मीनारायण जी विराजमान देह" वाके विराजमान तेखडा तह. लाडपुरा जिला कोटा के सम्बन्ध में पंजीयन हेतु जांच किये जाने के लिये आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लियें, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हों प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रकिया अनुसार से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 16.4.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 17.06.2025

सहायक आयुक्त
देवस्थान कोटा विभाग कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/156 **विज्ञप्ति** दिनांक:-24.04.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रामचन्द्रपुरा योजना "लाजपत नगर-I" खसरा नं. 201 में स्थित भूखण्ड संख्या सी-65 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में श्री जुनैद खान पुत्र श्री अब्दुल अजीज निवासी-विनायक काम्प्लेक्स, त्रिशुल इलेक्ट्रोनिक्स होम के पास, नयापुरा कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 2111 दिनांक 02.02.2022 को श्रीमती लीला बाई पत्नि श्री कन्हैयालाल के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये अपंजीकृत मुख्तारआम श्री जाहिद खान पुत्र श्री महमूद खान द्वारा जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 03.01.2025 से श्री जुनैद खान पुत्र श्री अब्दुल अजीज को कर दिया गया है।

अत: श्री जुनैद खान पुत्र श्री अब्दुल अजीज के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण,कोटा

कार्यालय विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-एफ11/विक्रय/2025/1578 दिनांक 24.4.2025

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूखण्ड संख्या 355 सुभाष नगर आवासीय योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 901 दिनांक 13.05.1991 को श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री निर्मल कुमार के नाम आवंटन किया गया था। श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री निर्मल कुमार द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये मुख्तारआम श्री मोहम्मद इमरान पुत्र श्री हैदर अली द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.04.2013 को श्री अटल बिहारी शर्मा पुत्र श्री कुंज बिहारी शर्मा को विक्रय कर दिया गया है। अत: श्री अटल बिहारी शर्मा पुत्र श्री कुंज बिहारी शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 355 सुभाष नगर आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्री अटल बिहारी शर्मा पुत्र श्री कुंज बिहारी शर्मा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/159 **विज्ञप्ति** दिनांक:-24.04.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रंगबाडी में स्थित कृषि भूमि योजना कृष्णा नगर खसरा नं. 79 में स्थित भूखण्ड संख्या 7 आवेदक श्री अशोक कुमार दाधीच पुत्र श्री गोपाल लाल दाधीच निवासी सेक्टर-4 कोटा राज. नाम हस्तान्तरण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा आदेश क्रमांक 2382 दिनांक 11.07.2003 को श्रीमती उषा किरण पत्नि श्री सूरज प्रकाश वेद के नाम जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान रजि. विक्रय पत्र दिनांक 06.05.2005 को जर्ये मुख्तारआम श्री दिलीप कुमार जैन पुत्र श्री राम गोपाल जैन द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अत: श्री अशोक कुमार दाधीच पुत्र श्री गोपाल लाल दाधीच के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी। उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण,कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा
जाहिर आम सूचना

क्रमांक-98 दिनांक 15.4.25

आवास संख्या 2-न-33 दादाबाडी अतिरिक्त कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री दुर्गा प्रसाद बहेड़िया पुत्र श्री गोकुल लाल बहेड़िया को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री दुर्गा प्रसाद बहेड़िया पुत्र श्री गोकुल लाल बहेड़िया के नाम दिनांक 03.08.1994 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री दुर्गा प्रसाद बहेड़िया पुत्र श्री गोकुल प्रसाद बहेड़िया की मृत्यु दिनांक 12.03.2025 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरान्त इनके वारिसानों श्रीमती कमला देवी बहेड़िया पत्नी स्व.श्री दुर्गा प्रसाद बहेड़िया व श्रीमती मंजु बेली पत्नि श्री सुधिर कुमार बेली पुत्री स्व.श्री दुर्गा प्रसाद बहेड़िया एवं श्री सुधाकर बहेड़िया पुत्र स्व.श्री दुर्गा प्रसाद बहेड़िया द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्सों का त्याग जरिये रिलीज डीड (त्याग-पत्र) आलेखित कर दिनांक 20.03.2025 को श्री धीरज बहेड़िया पुत्र स्व.श्री दुर्गा प्रसाद बहेड़िया के पक्ष में किया गया। श्री धीरज बहेड़िया पुत्र स्व.श्री दु